फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 139/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/187) **श्री भेरा बनाम श्री छगु व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2025	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरपतसिंह चुण्डावत - वकील अपीलार्थी 2. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील प्रत्यर्थी-1 व 2 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-3 **अनवान** 1. **श्री भेरा पुत्र श्री जोधा जी बलाई, निवासी आम्बा का खेड़ा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **श्री छगु पिता श्री जेमा सालवी, निवासी आम्बा का खेड़ा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** 2. **श्री पारस पिता श्री छगु बलाई, निवासी आम्बा का खेड़ा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** 3. **राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमंद।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ बप्रकरण संख्या 10/2023 निर्णय दिनांक 29.05.2024 (अनवान श्री छगु बनाम राजस्थान राज्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 08.01.2025 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ बप्रकरण संख्या 10/2023 निर्णय दिनांक 29.05.2024 (अनवान श्री छगु बनाम राजस्थान राज्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री छगु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आम्बा का खेड़ा, पटवार हल्का कुन्दवा, भू.अ.निरीक्षक वृत पारडी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद में उसकी स्वामित्व एवं अधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 42 आराजी संख्या 132 से 138, 140 से 144 कुल किता 12 कुल रकबा 2.7700 हैक्टेयर भूमि होकर उक्त वर्णित भूमि में उसका 1/2 हिस्सा स्थित है, जिस पर वह काबिज काश्त है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उसकी उक्त भूमि में उसके पिता का नाम छगु पिता जोधा दर्ज जो गलत है, जबकि छगु पिता जेमा अंकित होना चाहिए। सभी राजकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम छगु पिता जेमा दर्ज है। भूमि के नकल ऑनलाईन प्राप्त करने पर इस गलती का पता चला, अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त संशोधन/शुद्धि करते हुए उसके पिता का नाम छगु पिता जोधा के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 139/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/187) **श्री भेरा बनाम श्री छगु व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्थान पर छगु पिता जेमा दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 29.05.2024 पारित कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती के आदेश प्रसारित किये।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाधित प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौराने कार्यवाही अधिवक्तागण पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जादी का पेश किया, जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.01.2025 को अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित जिनकी विस्तृत बहस सुनी गई। दिनांक 07.01.2025 को अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमियां सम्वत् 2023 से 26 की जमाबंदी में मूल पुरूष श्री जोधा पिता श्री सोला बलाई के नाम खातेदारी दर्ज थी। श्री जोधा का निधन दिनांक 17.02.1968 को हो जाने से पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण श्री जोधा के वारिस पुत्र श्री भेरा एवं छगु के नाम नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 17.02.1968 को स्वीकृत किया गया, जिसका अंकन वर्तमान तक अंकित होकर कब्जेकाश्त है। श्री छगु सन् 1984 में मजदूरी करने के लिये तिलस्वा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा चला गया जहां श्री छगु पिता श्री जोधा बलाई का देहांत दिनांक 25.10.1984 को हो गया, श्री छगु की माता का नाम वरजु बाई था। श्री छगु अविवाहित होकर उसके किशोरावस्था में ही मृत्यु हो चुकी, जिसका प्रमाण पत्र अपील के साथ संलग्न किया है। श्री छगु के अविवाहित फौत होने से उसका भाई भेरा एकमात्र वारिस होने सम्पूर्ण आराजीयात पर वह काबिज है, जिस पर मोटर लगी है, भूमि सिचिंत है और आजिविका का एकमात्र साधन है। सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद में भूमि के रेकार्ड में भेरा, छगु पिता जोधा ही अंकित है तो वर्तमान तक बदस्तुर है। अपीलार्थी भेरा द्वारा छगु के देहान्त उपरान्त पंचायत समक्ष नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया परन्तु नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया। भूमि दलालों द्वारा छगु पिता श्री जेमा नाम के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश करा वांछित इन्द्राज दुरस्ती का आलौच्य निर्णय पारित करवाया गया, जो काबिल निरस्त के है। उक्त प्रार्थना पत्र की जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का पेश किया गया जिसे निर्णय दिनांक को ही निरस्त कर अपीलधीन आदेश पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 139/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/187) **श्री भेरा बनाम श्री छगु व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर दिया गया। अपीलार्थी को कोई भी अग्रिम कार्यवाही का अवसर प्रदान नहीं किया गया। श्री छगु पिता जेमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 के प्रावधानों के विपरित है। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि कभी भी छगु पिता जेमा के नाम नहीं रही, जिसे बाद में श्री छगु पिता जोधा दर्ज कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय समक्ष यह कही भी नहीं बताया गया कि जेमा के पास उक्त भूमि किस प्रकार से आई एवं वह किस प्रकार से विवादित भूमि का अधिकारी है। धारा-136 के तहत केवल लिपिकिय त्रुटि एवं पक्षकारान की सहमति से इन्द्राज दुरस्ती की जा सकती है, जो इस प्रकरण में नहीं पाई है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के हित प्रत्यथ रूप से प्रभावित होते है, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त निर्णय पारित होने के अगले दिन वांछित नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया गया और अगले दिवस में कथित छगु द्वारा अपने पुत्र श्री पारस के नाम रजिस्ट्री करा ली गई और उसका भी नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही मेलाफाईड इन्टेशन को दर्शित करती है। अपीलार्थी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक छगु पिता जोधा का विधिक वारिस है, इसलिए उसके हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे नहीं सुना गया, इसलिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश किया गया। नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 17.02.1968 में जोधा की मृत्यु तीन वर्ष पूर्व होना बताया गया है जो राजकीय दस्तावेज है, अर्थात सन् 1965 में जोधा की मृत्यु हुई, उसके तीन वर्ष बाद छगु पिता जेमा पेदा हुआ, जिस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ उसका नाम नामान्तरकरण में कैसे आ सकता है, यह कभी सम्भव नहीं है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमा भूमि पुनः छगु पिता श्री जोधा के नाम अंकित करने का आदेश प्रदान कराया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये-

1. आरआरटी 2022 पेज 1284
2. आरआरटी 2018 पेज 244
3. आरआरटी 2017 पेज 1264
4. आरआरटी 2011 पेज 905
5. आरआरटी 2009 पेज 560
6. आरआरडी 2011(sept.) पेज 409
7. आरआरडी 1994 पेज 505
8. आरआरडी 2000(sept.) पेज 384
9. आरआरडी 1991 पेज 540
10. आरआरडी 1995 पेज 179
11. एआईआर 1980 राज.पेज 21

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि ग्राम आम्बा का खेड़ा, पटवार हल्का कुन्दवा, भू.अ.निरीक्षक वृत पारडी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद में उसकी स्वामित्व एवं अधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 42 आराजी संख्या 132

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 139/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/187) **श्री भेरा बनाम श्री छगु व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से 138, 140 से 144 कुल किता 12 कुल रकबा 2.7700 हैक्टेयर भूमि होकर उक्त वर्णित भूमि में श्री छगु 1/2 हिस्सा स्थित है, जिस पर वह काबिज काश्त है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उसकी उक्त भूमि में उसके पिता का नाम छगु पिता जोधा दर्ज जो गलत है, जबकि छगु पिता जेमा अंकित होना चाहिए। सभी राजकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम छगु पिता जेमा दर्ज है। भूमि के नकल ऑनलाईन प्राप्त करने पर इस गलती का पता चला, अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त संशोधन/शुद्धि करते हुए उसके पिता का नाम छगु पिता जोधा के स्थान पर छगु पिता जेमा दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किये गये जिससे उसका जेमा का पुत्र होना जाहिर होता है। विवादित भूमि मूल रूप से सोला के नाम दर्ज थी, जिसके दो पुत्र श्री जेमा और जोधा हुए। श्री छगु जेमा का पुत्र एवं श्री भेरा जोधा का पुत्र है। परन्तु राजस्व अभिलेखों में श्री छगु पिता श्री जेमा के स्थान पर श्री छगु पिता जोधा नाम अंकित हो गया। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती पर सहमति प्रदान की गई। गांव में मौतबिरान द्वारा गवाह के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। उक्त भूमि से अपीलार्थी का कोई संबंध नहीं है, ऐसे में उसे अपील पेश करने का भी कोई अधिकार नहीं है, इस बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है। वांछित इन्द्राज दुरस्ती धारा-136 में ही प्रावधित है, क्योंकि आरम्भ से राजस्व रेकार्ड में गलती की गई, जिसमें संशोधन इस प्रावधान के तहत निहित है। अतः में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा अपील खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये-

1. आरआरडी 1993 पेज 388

प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया।

जैसा की उक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया गया है, जिसमें अंकित कारण पर मनन उपरान्त न्यायाहित में प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकृत किया जाकर अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि अपीलार्थी के विवादित भूमि के संबंध में हक व अधिकार तय किये गये है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 139/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/187) **श्री भेरा बनाम श्री छगु व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री छगु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 29.05.2024 पारित कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती के आदेश प्रसारित किये, उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई। न्यायालय हाजा समक्ष अधिवक्ता अपीलार्थी का प्रमुख उज्र यह रहा है कि श्री छगु पिता जेमा नाम का कोई अन्य व्यक्ति है, जिसका जोधा की भूमि से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरित अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 का प्रमुख उज्र यह रहा है कि मुल पुरूष श्री सोला के दो पुत्र जोधा एवं जेमा थे, भेरा जोधा का पुत्र एवं छगु जेमा का पुत्र था, जिसका राजस्व रेकार्ड में पिता का गलत नाम दर्ज हो गया था। उक्त आक्षेपों के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपलब्ध रिपोर्ट का अध्ययन एवं परिक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2024 अनुसार उक्त आम्बाखेडा के खाते संख्या 42 में दर्ज आ.न. 132 से 138, 140 से 144 पर छगु पिता जेमा का ही कब्जा है व छगु पिता जोधा नाम से कोई व्यक्ति नहीं होकर उसके कुटुम्ब में छगु पिता जेमा है। उक्त रिपोर्ट पर गावं के 25 से अधिक मोतबिरान के हस्ताक्षर अंकित है। इसी आशय का एक प्रमाण पत्र दिनांक 13.05.2024 ग्राम पंचायत कुन्दवा तहसील देवगढ़ द्वारा भी जारी किया गया, जिसमें राजस्व रेकार्ड में दर्ज छगु पिता जोधा गलत दर्ज है। उपरोक्त के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री छगु पिता जेमा के आवेदन के समर्थन में कई मौतबिरान द्वारा अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। यहा इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि किसी भी अपीलार्थी/प्रत्यर्थी को अपने अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमाणित करने का भार उनके उपर आयत होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजकीय विभागों द्वारा जारी रिपोर्ट, प्रमाण पत्र दिनांक 13.05.2024 एवं प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से उसके द्वारा प्रस्तुत कथनों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र पर संशय किया जाना उचित नहीं है क्योंकि इन रिपोर्ट/प्रमाण के खण्डन में वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य होने पर मौखिक साक्ष्य को माने जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। न्यायालय हाजा यह पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पर न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई और साक्ष्यों के आधार पर तार्किक निर्णय पारित किया गया है, जिसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक धारा 136 के प्रावधानों का इस प्रकरण पर लागु नहीं होने के आक्षेपों का प्रश्न है, प्रथम दृष्टया प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिपोर्ट/प्रमाण के आधार पर राजस्व अभिलेखों में लिपिकिय त्रुटि होना प्रकट होता है। यह त्रुटि आरम्भ से ही चली आ रही है, जिस धारा-136 के प्रावधानों के तहत दुरस्त किया जा सकता है।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 139/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/187) **श्री भेरा बनाम श्री छगु व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जावें कि उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया, तो उसके पास इस न्यायालय समक्ष पर्याप्त एवं समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज, तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र दिनांक 13.05.2024 के खण्डन में कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और अपील मेमों एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को अपीलार्थी सफलतापूर्वक साबित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में अंकित तथ्य हस्तगत प्रकरण में अंकित तथ्य से भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यदि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई दाद चाहता है, तो वह सक्षम न्यायालय समक्ष वाद/घोषणा की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है, क्योंकि धारा-136 की समरी कार्यवाही में किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ का निर्णय दिनांक 29.05.2024 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	